पत्रांक भवन/स्था0 01 विविध 10/2025......6883(भ)/

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यापालक अभियंता (विद्युत सहित),
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक- 23/7/26

विषयः AEBAS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने एवं वेतन भुगतान के संबंध में

प्रसंगः गृह विभाग का परिपत्र सं0- 8926 दिनांकः- 12.08.2022, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 15498, दिनांक 01.09.2022, परिपत्र सं0 19930, दिनांक 12.12.2024 एवं पत्रांकः- 9630 दिनांकः- 01.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 4754, दिनांक 31.12.2007 के द्वारा क्षेत्रिय कार्यालयों में छः(06) दिवसीय कार्य सप्ताह कार्य प्रणाली लागू की गयी, जिसमें कार्यालय अवधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक (नवम्बर से फरवरी तक 10:30 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक) निर्धारित करते हुये मध्याह्न भोजन का समय 01:30 बजे अपराह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में प्रासंगिक पत्रों के आलोक में विभाग के अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को AEBAS (Aadhar Enabled Biometric Attendence System) के माध्यम से ससमय (शत् प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में कई बार निदेश प्रचारित किये गये है। उक्त निदेश के बावजूद भी अधिकांश पदाधिकारी एवं कर्मचारी विलम्ब से कार्यालय आते हैं, जो खेदजनक एवं आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निम्न निदेश संसूचित हैः-

1. उक्त संदर्भ में विहित प्रावधानों के अनुश्रवण हेतु कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया जाय तथा अनुपालन नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।
2. उपस्थिति विवरणी के आधार पर विलम्ब से कार्यालय आने की अवधि हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 16458, दिनांक 12.09.2022 में विहित प्रावधानों के अनुरुप अनुमान्य अवकाशों को समायोजन स्थापना प्रभारी करेंगे। जिन सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में कोई अवकाश शेष न हों, उनके विलम्ब से कार्यालय आने की स्थिति में, विलम्ब अवधि के लिए उनके वेतन से नियमानुसार आवश्यक कटौती की जाए। विशेष परिस्थिति में आवश्यक छूट, विभागाध्यक्ष प्रधान कर सकेंगे।

D:/madhumita/section-2A

3. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपस्थिति विवरणी से संबंधित स्थापना प्रतिवेदन के आधार पर ही वेतन विपत्र तैयार करेंगे।

उक्त वर्णित निदेशों के बावजूद भी अधिकत्तर पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा कार्यालय अवधि में ससमय उपस्थिति/ससमय कार्यालय छोड़ने के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा कार्यालय में ससमय उपस्थिति के बावजूद भी कार्यालय अवधि में सरकारी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि आपके अधिनस्थ कार्यालय में निश्चित रुप से बायोमैट्रिक मशीन अधिष्ठापित किया जाए अथवा कार्यालय में अधिष्ठापित बायोमैट्रिक मशीन में कार्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/कर्मियो द्वारा निश्चित रुप से ससमय उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 01 अगस्त, 2026 से AEBAS (Aadhar Enabled Biometric Attendence System) के माध्यम से दर्ज उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर ही सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,

3/7/26

(सजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।
विनीता

D:/madhumita/section-2A